लोक सभा सचिवालय
शोध एवं सूचना प्रभाग

सूचना बुलेटिन

सं. लार्डिस (ई एण्ड एफ) 2014/आईबी-07 जुलाई 2014

भारत का राजकोषीय घाटा-कारण, रुझान और उसका प्रभाव

प्रस्तावना

आर्थिक शब्दावली में, घाटा किसी दी गई समयावधि में राजस्व प्राप्ति की तुलना में खर्च का अधिक होना है। लोक वित्त में, राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय और इसके राजस्व के बीच का अंतर है। किसी देश के राजकोषीय घाटे को सामान्य तौर पर इसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।

राजकोषीय घाटे को अपेक्षाकृत सरकार के घाटे के अधिक व्यापक संकेतक के रूप में माना जाता है। यह लिए गए ऋणों से इतर राजस्व व्यय और पूंजी व्यय के जोड़ में से सभी राजस्व प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों को घटाकर प्राप्त हुई राशि है।* इससे सरकार के वित्तपोषण की स्थिति की और अधिक व्यापक तस्वीर सामने आती है।

राजकोषीय घाटे के यथोचित स्तर को कुछ लोगों द्वारा सकारात्मक आर्थिक घटना माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि राजकोषीय घाटे का अर्थ है कि सरकार अधिक व्यय कर रही है और विभिन्न सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं पर सरकारी व्यय की अधिक राशि से विकास को बढ़ावा मिलेगा और मांग में वृद्धि होगी। इससे, सामान्य स्थिति में, अर्थव्यवस्था का विकास होगा क्योंकि मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ती है। दूसरी ओर, राजकोषीय परंपरावादी विचारक यह महसूस करते हैं कि सरकारों को संतुलित बजट नीति के पक्ष में घाटों से बचना चाहिए। तथापि समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजकोषीय घाटा अनियंत्रित हो जाता है या गलत समय पर होता है।

*नोट:(एक) **राजस्व व्यय:** दिन-प्रतिदिन के आधार पर सरकार द्वारा कारबार/कार्यकलाप करने की लागत से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय कहते हैं। इसमें ब्याज भुगतान, राजसहायता और रक्षा व्यय भी शामिल हैं।

(दो) **पूंजीगत व्यय:** पूंजीगत व्यय स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद तथा विद्यमान स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा निवेश किए गए धन से संबंधित व्यय है।

(तीन) **राजस्व प्राप्तियां:** यह बिना किसी देयता के राजस्व है। सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर और गैर कर आयों से अर्जन शामिल है।

(चार) **पूंजीगत प्राप्तियां:** पूंजीगत प्राप्तियां सरकार को प्राप्त वे निधियां हैं जो इसके प्रचालन कार्यकलापों का हिस्सा नहीं हैं। इनमें ऋणों की वसूली, विनिवेश से प्राप्त प्राप्तियां आदि शामिल हैं।

सरकार राजस्व से अधिक अपने व्यय को पूरा करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय करती है। इसे आमतौर पर सरकार द्वारा 'घाटे की अर्थव्यवस्था' कहा जाता है। हमारे जैसे कल्याणकारी राष्ट्र में घाटे की अर्थव्यवस्था को एक आवश्यक बुराई माना जाता है क्योंकि राष्ट्र बहुधा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कर राजस्व नहीं जुटा पाता है। घाटे की अर्थव्यवस्था से राष्ट्र को उन कार्यकलापों को करने का मौका मिल जाता है जो कि अन्यथा उसकी वित्तीय क्षमता से बाहर होते। घाटे की अर्थव्यवस्था के पीछे मूल आशय कृत्रिम साधनों द्वारा आर्थिक विकास को आवश्यक गति प्रदान करना है।

राजकोषीय घाटे के कारण

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील प्रकृति होने के कारण, जहां पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से संसाधनों के लिए निरंतर उच्च मांग रही है, वहीं इन क्षेत्रों की राजस्व सृजित करने की संभावना सीमित रही है। पूरे देश का संतुलित विकास करने के लिए सरकार ने विभिन्न विकासात्मक योजनाएं आरंभ की थीं जिनमें संसाधनों का बड़ा हिस्सा लग गया और अभी भी लग रहा है। इसके अलावा, हमारे देश के एक कल्याणकारी राष्ट्र होने के कारण, समाज के सभी वर्गों के समान विकास की जिम्मेदारी सरकार की है और इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु विशाल परिव्यय वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को कई दशकों तक कार्यान्वित करना पड़ा। सरकारी बजट में असंतुलन के पीछे यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण रहा है। कच्चे तेल के बढ़ते आयात और तेल मूल्यों में वृद्धि होते रहने की प्रवृत्ति ने भारत के वित्तीय संकटों को और बढ़ा दिया है। चूंकि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों के लिए इसके आयात पर लगभग पूरी तरह से निर्भर है, अत: तेल आयात बिलों का राजकोष पर काफी बोझ पड़ता है। इसके अलावा, भारत में चालू खाता घाटा बढ़ने का एक अन्य कारण देश में स्वर्ण की आसमान छूती मांग है।

भारत में उच्च वित्तीय घाटे के पीछे विशाल सरकारी उधार, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज का अधिक भुगतान करना पड़ता है, भी एक प्रमुख कारण है। चूंकि सरकारी व्यय और राजस्व के बीच के अंतर को आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के ऋणों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, अत: पिछले

कुछ दशकों के दौरान सरकार के आंतरिक और बाहरी ऋणों में काफी वृद्धि हुई है और घरेलू ऋणों और विदेशी ऋणों, दोनों पर ब्याज का भुगतान सरकार के व्यय का एक प्रमुख घटक है।

जहां सरकारी व्यय में वृद्धि राजकोषीय असंतुलन का प्रमुख कारण रही है, वहीं राजस्व प्राप्ति में अपर्याप्त वृद्धि से भी राजकोषीय असंतुलन बढ़ा है। विगत कुछ वर्षों के दौरान केंद्र सरकार को होने वाली राजस्व प्राप्ति जिसमें कर राजस्व और गैर कर राजस्व शामिल है, में हुई वृद्धि व्यय में हुई वृद्धि की तुलना में कम दर से हुई है। इसके अतिरिक्त, जटिल कर प्रणाली और अनेक छूटों के कारण कर अपवंचन हुआ है तथा इस प्रकार कर संग्रह कम हुआ है। भारत में जनसंख्या का अधिकांश भाग कमजोर वर्गों का है और सरकार कल्याणकारी उपाय के रूप में उर्वरकों, निर्यात, खाद्य मदों आदि जैसी कई मदों पर राजसहायता दे रही है। कई वर्षों से ऐसा होते रहने के परिणामस्वरूप राजकोषीय असंतुलन हुआ है जिसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ा है।

भारत में सरकार के पास रक्षा बजट कम करने की संभावना सीमित है क्योंकि सीमा पर सुरक्षा संबंधी समस्या है, इसलिए विगत वर्षों में रक्षा व्यय में कई गुना वृद्धि हुई है। पेंशन भुगतान, स्थापना-लागत, ब्याज भुगतान संबंधी प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात, जो अधिकांशत: अनुत्पादक है, भारत में उच्च राजकोषीय घाटे के महत्वपूर्ण कारण हैं। विगत कुछ वर्षों के दौरान कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अपेक्षतया खराब कार्य निष्पादन के कारण भी राजकोषीय असंतुलन हुआ है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का खराब कार्य निष्पादन अनेक कारणों जैसे अकुशलता, खराब प्रबंधन, न्यून श्रमिक दक्षता, व्यावसायिकता की कमी, अधिशेष स्टाफ, आदि से रहा है। एक ओर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के खराब कार्य निष्पादन के कारण सरकार को उनसे प्राप्त लाभांश के रूप में कम राजस्व प्राप्त हुआ है तो दूसरी ओर इसे खराब कार्य निष्पादन करने वाले उपक्रमों को चालू रखने के लिए बड़ी राशि खर्च करनी पड़ी।

वर्ष 1995-96 से अब तक भारत के राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति निम्नवत् रही है:

वर्ष	राजकोषीय घाटा (सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)
1995-96	5.9
1996-97	5.2
1997-98	5.7
1998-99	6.4
1999-2000	5.4
2000-01	5.7
2001-02	6.1
2002-03	5.3
2003-04	4.5
2004-05	4.0
2005-06	4.1
2006-07	3.5
2007-08	2.7
2008-09	6.2
2009-10	6.8
2010-11	4.9
2011-12	5.8
2012-13 (अनंतिम)	4.9
2013-14 (संशोधित अनुमान)	4.6

1995-96 से वित्तीय घाटा

राजकोषीय घाटे के परिणाम

राजकोषीय घाटे के परिणाम, घाटे के स्तर तथा उसके उपयोग से वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों की प्रकृति अर्थात् उत्पादक या अनुत्पादक के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, राजकोषीय घाटे के एक तर्कसंगत स्तर को कुछ व्यक्ति सकारात्मक आर्थिक घटना मानते हैं। इसका कारण यह है कि राजकोषीय घाटे का तात्पर्य है कि सरकार अधिक व्यय कर रही है और विभिन्न सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं पर तर्कसंगत व्यय वृद्धि को उत्प्रेरित करता है तथा सामान्य स्थितियों में इससे अर्थव्यवस्था में विकास होता है जबकि, उच्च राजकोषीय घाटे से सार्वजनिक ऋण असतत स्तर पर पहुंच जाता है जिसके कारण स्थूल अर्थशास्त्रीय असंतुलन की भिन्न-भिन्न स्थितियां पैदा हो सकती हैं जो घाटे की पूर्ति संबंधी उपायों के साथ-साथ परिवर्तित होती रहती हैं। उच्च राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति बढ़ती है, मौद्रिक नीति को आगे बढ़ाने की संभावना कम होती है, बाह्य क्षेत्र संबंधी असंतुलन का जोखिम बढ़ता है तथा निजी निवेश, वृद्धि और रोजगार हतोत्साहित होते हैं।

उच्च राजकोषीय घाटे का परिणाम होता है:—'ऋण जाल में फंसना'/ सरकार को राजकोषीय घाटे की समस्या का समाधान करने के लिए अतिरिक्त धन उधार लेना पड़ता है जिससे ब्याज भुगतान के लिए सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इस प्रकार, बढ़ते अनुत्पादक व्यय से राजस्व घाटा बढ़ता जाता है और परिणामत: राजकोषीय घाटा अधिक हो जाता है। चूंकि ऋण भुगतान व्यय का अनुपात होता है इसलिए सरकार के अन्य सभी कार्यकलाप प्रभावित होते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक नुकसान आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना, दोनों में, सरकार के पूंजीगत व्यय का होता है।

सरकारी उधार के लगातार ऊंचे स्तर पर बने रहने से उच्च ब्याज दर के कारण शेष अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। सरकार आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए व्यय करने के इरादे से अधिक ब्याज दर पर धन उधार ले सकती है। लेकिन ऐसा करने से पहले से ही उच्च राजकोषीय घाटे की स्थिति के कारण ब्याज की उच्च दर बनी रहती है जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव होता है क्योंकि इससे न केवल घरेलू निवेशक हतोत्साहित होते हैं बल्कि इससे विदेशी पूंजी भी बाहर जाती है। इस प्रकार एक राजकोषीय असंतुलन पैदा होता है जो आर्थिक वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए शीघ्र विश्वसनीय एवं प्रभावी उपाय न करने के परिणाम स्वतंत्र साख में गिरावट और फिर विदेशी पूंजी बाहर जाने के रूप में सामने आ सकते हैं।

स्वतंत्र रेटिंग देश की आर्थिक स्थिति के सूचक के रूप में देखी जाती है, रेटिंग में गिरावट से विदेशी कंपनियों और एजेंसियों द्वारा भारत में किए जाने वाले निवेश में और कमी आएगी। इससे रुपया और कमजोर होगा और पूंजी बाजार और बैंकिंग क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त वित्तीय संकट की स्थिति में प्रतिरोधी चक्रीय नीतिगत उपायों के लिए सीमित अवसर उपलब्ध होंगे।

बढ़ते राजकोषीय घाटे से निजी निवेश और वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कमी के लिए सीमित मौद्रिक अवसर उपलब्ध होते हैं। एक ऐसे देश में जहां प्रति वर्ष करोड़ों कुशल और अकुशल युवा श्रम क्षेत्र से जुड़ते हैं, वृद्धि दर में कमी से अकुशलता, असमानता और अस्थिरता उत्पन्न होती है। मंदवृद्धि दर और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक अस्थिरता की स्थिति से निर्धन और बेरोजगार लोग सबसे अधिक त्रस्त होते हैं। अधिक राजकोषीय घाटे का उत्पादन की लागत, बचत, भुगतान संतुलन आदि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे मुद्रास्फीति में बेतहाशा वृद्धि होती है और मौद्रिक नीति को आगे ले जाने में बाधा आती है।

राजकोषीय घाटे के बारे में सरकारी नीति

योजनागत आर्थिक विकास के युग से ही सरकार द्वारा अपने घाटे का वित्त पोषण करने के मुख्य उपाय भारतीय रिजर्व बैंक की बही के माध्यम से अधिक धन का मुद्रण करना अथवा इसके विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना अथवा बाजार से उधार लेना (घरेलू अथवा विदेशी) रहे हैं। 1991 के वित्तीय सुधारों के पश्चात् मुद्रास्फीति नीति को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिक मुद्रा का मुद्रण कर घाटे को वित्त पोषित करने का तरीका अप्रभावी हो गया है और सुधार पश्चात् युग में घाटे को वित्त पोषित करने का मुख्य उपाय बाजार ऋण (घरेलू और विदेशी) है।

वर्ष 1990-91 में उपर्युक्त राजकोषीय सूचकों में भारी गिरावट आयी थी जिससे 1991 में भुगतान संतुलन (बीओपी) का संकट उत्पन्न हो गया था। भारत सरकार को 1990 के पूर्वार्द्ध के दौरान घाटे के सूचकों को बेहतर बनाने के लिए कड़े राजकोषीय सुधार करने के लिए राजकोषीय समेकन कार्यक्रम को आरंभ करना पड़ा था। तथापि दशक के दूसरे उत्तरार्ध में राजकोषीय चूकों ने राजकोषीय उपायों को और सुदृढ़ करने को अपरिहार्य बना दिया जिससे की दीर्घ अवधि में विकास के पथ में नकारात्मक वित्तीय स्थिति कोई बाधा उत्पन्न न करे। इन राजकोषीय सुधारों और बेहतर राजकोषीय पद्धतियों को अपनाने को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित कर नियम आधारित राजकोषीय चार्टर अपनाया है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम बिगड़ती हुई राजकोषीय स्थिति को रोकने, वित्तीय अनुशासन को संस्थागत रूप देने और समष्टि संतुलित बजट की दिशा में आगे बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था प्रबंधन और लोक निधियों के समग्र प्रबंधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन में अंतर पीढ़ी साम्यता, दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बीच बेहतर समन्वयन और सरकार के राजकोषीय प्रचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम राजकोषीय समेकन हेतु विधिक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। अब केंद्र सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करना, राजस्व घाटे को दूर करना और आगामी वर्षों में अधिशेष राजस्व सृजित करने के उपाय करना अनिवार्य है। अधिनियम में सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तीन वित्तीय विवरणों नामत: मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण और समष्टि आर्थिक ढांचा नीति विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करे।

यद्यपि भारत राजकोषीय समेकन और उच्च सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के मार्ग पर अग्रसर था, विश्व अर्थव्यवस्था वर्ष 2008 में तीन अभूतपूर्व संकटों से ग्रस्त हुई—पहला पेट्रोलियम कीमतों में वृद्धि, दूसरा अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और तीसरा विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था का असफल होना।

इस संकट का कारण उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पन्न नहीं हुआ है फिर भी इस संकट के संयुक्त प्रभाव ने भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न की है। तद्नुसार, राजकोषीय नीति को वृद्धि दर को बढ़ावा देने वाले प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा था।

इसके परिणामस्वरूप अस्थायी अवधि के लिए राजकोषीय समेकन को मार्ग से हटाना पड़ा और एफआरबीएम अधिनियम में यथाअधिदेशित राजकोषीय समेकन को वर्ष 2007-08 में रोक दिया गया।

अगस्त 2012 में भारत सरकार ने राजकोषीय समेकन हेतु रूपरेखा सुझाने के लिए डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। सरकार ने राजकोषीय समेकन संबंधी केलकर समिति की अनेक सिफारिशों को स्वीकार किया और राजस्व व्यय में अंतर को पाटने के दृष्टिगत उन्हें कार्यान्वित करने हेतु अनेक कदम उठाए। भारत सरकार ने मध्यावधि व्यय अवसंरचना विवरण प्रारंभ किया है जिसके अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों के लिए संसाधनों के आबंटन और अपनी उपयोगिता अवधि पूरी कर चुकी अन्य योजनाओं को समाप्त करने हेतु नए-सिरे से कवायद शुरू करने की दृष्टि से व्यय संसूचकों हेतु एक तीन-वर्षीय चल लक्ष्य निर्धारित किया। इससे व्यय प्रबंधन में कार्यकुशलता को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार इस घाटे को समाप्त करने के लिए केंद्रीय राजसहायताओं पर व्यय को भी सीमित करने का प्रयास कर रही है।

हाल के घटनाक्रम

वर्ष 2012-13 के दौरान घटित राजकोषीय घटनाक्रमों को प्रथम और द्वितीय, दो भागों में बांटा गया था। वर्ष 2012-13 के प्रथम भाग को कुछ हद तक राजकोषीय चूक की संज्ञा दी गई। तथापि वित्तीय स्थिरीकरण उपायों के परिणामस्वरूप साल के मध्य में सुधार के कारण वर्ष 2012-13 के द्वितीय भाग में उल्लेखनीय राजकोषीय सुधार हुआ। वर्ष के दूसरे भाग में राजकोषीय सुधार के कारण सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) में वर्ष 2011-12 के 5.7 प्रतिशत से वर्ष 2012-13 में घटकर जीडीपी के 4.9 प्रतिशत होने से काफी कमी हुई। इस प्रक्रिया में कर और गैर-कर राजस्वों में कमी के कारण वर्ष 2012-13 में जीएफडी को मुख्य रूप से व्यय कम करके नियंत्रित रखा गया। वर्ष 2013-14 (सं.अ.) में जीएफडी को जीडीपी के 4.6 प्रतिशत तक लाने हेतु सकल राजकोषीय घाटे में योजनाबद्ध कटौती को उच्चतर विनिवेश कर राजस्वों, दूरसंचार प्राप्तियों और राजसहायता पर व्यय में कमी किए जाने की उम्मीद है। तथापि, राजस्व आधारित राजकोषीय समेकन की सफलता निवेश परिवेश और वृद्धि की बहाली पर निर्भर करेगी।

जहां तक व्यय पक्ष का संबंध है पूंजी और योजना व्यय दोनों में वर्ष 2013-14 में तीव्र वृद्धि के लिए बजट प्रावधान किया गया है। पूंजी व्यय के पक्ष में व्यय का पुन: वरीयताकरण वर्ष 2012-13 (संशोधित अनुमान) के 34.01 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 36.39 प्रतिशत के लिए जीएफडी अनुपात हेतु पूंजी परिव्यय में वृद्धि दर्शाता है। यद्यपि वर्ष 2013-14 में योजना परिव्यय उच्च रखा गया है तथापि योजना के पहले दो वर्षों (अर्थात् वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14) के दौरान केन्द्रीय योजना परिव्यय के लिए दी गई बजटीय सहायता बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की संपूर्ण पंचवर्षीय अवधि हेतु परिकल्पित कुल बजटीय सहायता का केवल 24.4 प्रतिशत है।

गैर-योजना व्यय के संबंध में एक सकारात्मक विशेषता 2013-14 में राजसहायतों पर व्यय के जीडीपी के 2 प्रतिशत तक सीमित रखने की परिकल्पना की गयी है। तथापि डीजल मूल्यों में चरणबद्ध विनियमन ईंधन राजसहायता को नियंत्रण में रखने में मदद करेगा, फिर भी विनिमय दर में उछाल वर्ष 2013-14 में ईंधन और उर्वरक राजसहायतों पर ऊर्ध्वगामी दबाव बढ़ा सकता है। तेल कंपनियों की कम वसूली में मूल्यों के विलंब से समायोजन और क्षेत्र में प्रचलित प्रशासित मूल्य तंत्रों के अवशेषों सहित विनिमय दर के अवमूल्यन और कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में वृद्धि के कारण तेजी से वृद्धि हुई है। यद्यपि वर्ष 2013-14 में खाद्य राजसहायताओं पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रभाव नियंत्रणीय है फिर भी यह आने वाले वर्षों में राजकोषीय दबाव बढ़ाएगा। मुख्य चिंता इस बात की है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ 2013-14 में भी खाद्य राजसहायता को बजटीय राशि के भीतर नियंत्रित रखना कठिन है।

संदर्भ:

1. संदेश संख्या एफ 3(5)/2014-एफआरबीएम, दिनांक 23 जनवरी 2014 द्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से प्राप्त टिप्पण।
2. भारतीय रिजर्व बैंक, वार्षिक रिपोर्ट (2012-13)।
3. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003।
4. वित्त अधिनियम, 2012।
5. योजना आयोग, इंडियन इकॉनामी: सम इण्डिकेटर्स एट-ए ग्लांस (30 नवम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार)।

श्री पी.के. मिश्र, अपर सचिव और श्री सी.एन. सत्यनाथन, निदेशक की देखरेख में डॉ. बी.सी. जोशी, अपर निदेशक और श्रीमती मुसर्रत नौशाद, संयुक्त निदेशक लोक सभा सचिवालय द्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से प्राप्त जानकारी के आधार पर संसद सदस्यों के उपयोग और जानकारी हेतु तैयार किया गया।

इस बुलेटिन का हिन्दी अनुवाद संपादन और अनुवाद सेवा के निदेशक, श्री नवीन चन्द्र खुल्बे और संयुक्त निदेशक, श्री डी.आर. मेहता के मार्ग-निर्देशन में किया गया।